न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
84 / 2022	01.06.2022	06.06.2022

/ / उनवान / /

1 सरबतीदेवी पत्नि सूबेसिंह जाति जाट निवासी रानोठ तह0 मुण्डावर, अलवर।

:— वादीया

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार महोदय मुण्डावर, अलवर।

:— प्रतिवादी

दावा — इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज

उपस्थितिः— 1 श्री सरजीत सिंह चौधरी — वकील वादीया

निर्णय दिनांक— 06.06.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित आये। वादीया के वाद का सारतः रहा कि आराजी ख0नं0 508 / 0.55, 509 / 0.82, 510 / 0.63, 511 / 0.63, 512 / 1.06, 513 / 0.67 है0 वाके ग्राम रानोठ में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी जो मिन वादीया की कब्जेकाश्त एवं सहखातेदारी की आराजी है तथा मिन वादीया अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है एवं आराजी बाबत अन्य सहखातेदारान से कोई विवाद नहीं है इसलिए उन्हें दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में मिन वादीया का नाम खिलाफ मौका व खिलाफ कानून सरबतीदेवी के स्थान पर सराकोर पत्नि सूबेसिंह दर्ज कर दिया। जिस अंकन के रिकॉर्ड में दर्ज रहने से मिन वादीया को भारी नुकसान हो रहा है तथा आराजी का समुचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रही है जिसे दूरूस्त किया जावे। मिन वादीया के समस्त पहचान के दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेंशन कार्ड, जन आधार कार्ड, सरबतीदेवी पत्नि सूबेसिंह के नाम से दर्ज है इसलिए न्यायहित में मिन वादीया का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित नाम सराकोर पत्नि सूबेसिंह के अंकन को हजफ कर उसके स्थान पर सरबतीदेवी पत्नि सूबेसिंह नाम दर्ज रिकॉर्ड कराये जाने के आदेश दिये जाकर राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त फरमाया जावे आदि—आदि अंकित करते हुए वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि उक्त विवादित आराजीयात में दर्ज मिन वादीया का नाम सराकोर पत्नि सूबेसिंह को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सरबतीदेवी पत्नि सूबेसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त फरमाया जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद तलबी पेरोकार सरकार ने पत्रावली की आदेशिका पर जवाब की आवश्यकता नहीं है अंकित करते हुए सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये।

वादीया ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी हाल सम्वत 2078 प्रदर्श—1, सरपंच ग्राम पंचायत रानोठ का प्रमाण पत्र दिनांक 01.06.2022 प्रदर्श—2 एवं स्वयं के आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार राशन कार्ड, पूर्व सेवानिवृत के ईसीएचएस कार्ड की छाया प्रतियां पेश की है साथ ही मौखिक साक्ष्य स्वरूप सरबती देवी का शपथ पत्र पीडब्ल्यू—1, बलबीरसिंह पीडब्ल्यू—2 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात वादीया के कब्जेकाश्त

सहखातेदारी की आराजी रही है एवं वादीया अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है तथा आराजी बावत अन्य सहखातेदारान से कोई विवाद नहीं है इसलिए उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा राजस्व रिकॉर्ड में राजरव कर्मचारियों द्वारा वादीया का नाम खिलाफ मौका व खिलाफ कानून सरबती देवी के स्थान पर सराकोर पत्नि सूबेसिंह दर्ज कर दिया जिस अंकन के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहने से वादीया अपनी हिस्से आराजी का समुचित तरीके से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रही है। वाद दायरी पर श्रीमान न्यायालय द्वारा तहसीलदार मुण्डावर से मौका व रिकॉर्ड बाबत तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहे जाने उपरांत तहसीलदार मुण्डावर ने अपने पत्रांक 05 दिनांक 23.05.2023 के द्वारा उक्तानुसार रिपोर्ट पेश की है जो शामिल पत्रावली है जिसके मुताबिक भी राजस्व रिकॉर्ड पर सराकोर पत्नि सूबेसिंह साकिनदेह खातेदार के अंकन होने के साथ–साथ पहचान के दस्तावेजों में सरबती पत्नि सूबेसिंह का अंकन होना आदि–आदि अंकित करते हुए प्रस्तुत होकर शामिल पत्रावली है का अभिकथन करते हुए वादीया के वाद को डिक्री किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम सराकोर पत्नि सूबेसिंह को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सरबती देवी पत्नि सूबेसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त फरमाये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादीया के आराजी ख0नं0 508 / 0.55, 509 / 0.82, 510 / 0.63, 511 / 0.63, 512 / 1.06, 513 / 0.67 है0 वाके ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर, अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित सरकोर पत्नि सूबेसिंह नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान सरबती देवी पत्नि सूबेसिंह के नाम के अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **06.06.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

06-06-2023

(पंकज बडगूजर)
सहायक कलक्टर(फा0ट्रे0)
मुण्डावर अलवर

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0) मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
84 / 2022	01.06.2022	06.06.2023

/ / उनवान / /

1 सरबतीदेवी पत्नि सूबेसिंह जाति जाट निवासी रानोठ तह0 मुण्डावर, अलवर।

:- वादीया

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार महोदय मुण्डावर, अलवर।

:- प्रतिवादी

दावा – इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज

-: पर्चा डिक्री :-

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री सरजीत सिंह चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.06.2023 को पंकज बडगूजर सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0), मुण्डावर के समक्ष पर्चा डिक्री जारी करने के लिए पेश होने पर, मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं–

आराजी ख0नं0 508 / 0.55, 509 / 0.82, 510 / 0.63, 511 / 0.63, 512 / 1.06, 513 / 0.67 है0 वाके ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर, अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित सरकोर पत्नि सूबेसिंह नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान सरबती देवी पत्नि सूबेसिंह के नाम के अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 06.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

06-06-2023

(पंकज बडगूजर)
सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0)
मुण्डावर अलवर